

कटंगी स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं महिला डाक्टर व नर्स

कटंगी नवभारत 12 सितंबर। कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जबलपुर संभागयुक्त धनंजय सिंह भदौरिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित महिलाओं ने एक ख़बर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। महिलाओं ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर और नर्सों की कमी के कारण प्रसव एवं उपचार संबंधी सुविधाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

महिलाओं का कहना था कि पहले कटंगी में ही प्रतिमाह बड़ी संख्या में सामान्य प्रसव हो जाते थे, लेकिन अब सामान्य प्रसव की संख्या 50 से भी कम रह गई है। कई मामलों में मरीजों को जबलपुर



रेफर कर दिया जाता है। महिलाओं ने यह भी बताया कि एमबीबीएस डॉक्टर ससाह में केवल दो दिन ही उपलब्ध रहते हैं, जिससे मरीजों को उपचार के लिए बार-बार स्वास्थ्य केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

एंबुलेंस भी आती है लेट

निरीक्षण के दौरान 108 एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था को लेकर भी

शिकायतें सामने आईं। महिलाओं ने बताया कि ज़रूरत के समय कई बार एंबुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में हीमोग्लोबिन जांच के लिए हीमोक्यूबिड मशीन बंद पाई गई, जिससे मरीजों को जांच के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। इस दौरान क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. भरत कुमार सहित

संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संभागयुक्त ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए समस्याओं की जानकारी ली।

छात्राओं ने उठाई मेट्रो बस सेवा की मांग

निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने भी संभागयुक्त धनंजय सिंह भदौरिया से मुलाकात कर कटंगी से जबलपुर के बीच मेट्रो बस सेवा शुरू करने की मांग रखी। छात्राओं ने बताया कि कटंगी में महाविद्यालय नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में छात्राओं को प्रतिदिन पहाई के लिए जबलपुर जाना पड़ता है। सुबह बस से जबलपुर जाना और शाम को वापस कटंगी लौटना पड़ता है।

पनागर में मुनि संघ के दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तजनों की भीड़



पनागर नवभारत 12 सितंबर। परम पूज्य गुरुवर 108 विद्यासागर महाराज के परम शिष्य पूज्य मुनि निर्दोष सागर महाराज का पावन योग पनागर में चल रहा है। नगर संस्कारधानी के अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश के चारों ओर से भक्तजन गुरुवर के दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं एवं धर्म ध्यान कर पुण्य अर्जन कर रहे हैं।

मुनि संघ के सानिध्य में प्रातःकाल 5.45 बजे से आचार्य

भक्ति 6 बजे से कक्षा – सन्यक्तव कोमुदी आर्ट ऑफ लिविंग, 8 बजे कक्षा प्रतिक्रमण त्रयी – संत भवन में (मुनिसंघ के लिये), 8 बजे गुरु पूजन, प्रवचन, – टीन शेड में, 9.30 बजे से आहार चर्या – बाजार मॉरिंग से 11.30 बजे ईर्यापथ भक्ति दोप. 12 बजे से सामायिक 8.30 बजे से कक्षा लघु सिद्धांत कोमुदी, धनजय नाम माला 2.30 बजे से अष्ट पाहुण 3.15 बजे से पदम पुराण 3.30 बजे से आराध्य सूत्र 4.30 बजे से सर्वार्थसिद्धि की कक्षा सायं 5.30 बजे प्रतिक्रमण 6.25 बजे आचार्य भक्ति तत्त्वशास्त्र मुनि निरूपम सागर महाराज द्वारा सभी के लिये कक्षा लगाई जा रही है समस्त धर्म प्रेमी जनों से श्री दिगम्बर जैन प्रबंधकारिणी सभा पनागर ने उपस्थित होकर धर्म ध्यान कर पुण्य लाभ लेने की अपील की है।

अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा का निधन



पनागर। मेन रोड बिन्नी बाई जैन कन्या शाळा के सामने जयप्रकाश वार्ड निवासी अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

आप मनोज विश्वकर्मा, वीरू विश्वकर्मा, अमित विश्वकर्मा के पिता रहे। अंतिम संस्कार जगमोहन वार्ड पड़ाव स्थित शमशान घाट में किया गया।

बारिश से सड़कों पर उभर आए जानलेवा गड्ढे

सिहोरा। बारिश के मौसम में जहां जीव जंतुओं का खतरा अधिक रहता है वहीं सिहोरा मार्ग सहित क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों में अत्यधिक बारिश के बाद लोगों के लिए सड़कों पर उभर आए बड़े-बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। जिम्मेदार विभाग से शीघ्र सुधार की मांग की गई है।



सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की दी समझाइश

► नियम तोड़ने वालों के चलित न्यायालय ने काटे वाला

सिहोरा नवभारत 12 सितंबर। प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश जबलपुर के निर्देश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर के आदेशानुसार बुधवार को चलित न्यायालय के तहत गोसलपुर थाना के बुढ़वार कस्बे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पालन करने की समझाइश भी दी गई अधिकारियों ने कहा की सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों की

प्रभारी भावना तिवारी की मौजूदगी में पुलिस टीम ने वाहनों की जांच की और सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की समझाइश दी।

जांच के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों और मालिकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई अधिकारियों ने कहा की सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों की

अनदेखी न करें क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी हादसे का कारण बन सकती है।

सीट बेल्ट पहनें, हेलमेट लगाएं

पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने एवं ज़रूरी दस्तावेज साथ रखने और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की हिदायत दी। चलित न्यायालय की कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना।

छात्रों की गूंज को सफल बनाने कांग्रेस ने बनाई रणनीति

जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न, 19 सितंबर को इंदौर चलो का आह्वान



जबलपुर नवभारत 12 सितंबर। आज जिला कांग्रेस कमेटी, जबलपुर ग्रामीण की अति महत्वपूर्ण बैठक अग्रवाल बारातघर, जबलपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला ग्रामीण प्रभारी एवं वर्तमान विधायक रजनीश सिंह ने की। बैठक में आगामी 19 सितंबर 2026 को इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम की तैयारियों, अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा

संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेकर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि 'छात्रों की गूंज' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं और छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाने का महत्वपूर्ण अवसर है। आज देश और प्रदेश का युवा रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कांग्रेस पार्टी हमेशा छात्रों और

युवाओं के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती आई है। 19 सितंबर को इंदौर में जबलपुर ग्रामीण से अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। संगठन की ताकत हमारी एकजुटता और सक्रिय कार्यकर्ताओं से है, इसलिए सभी साथी पूरी जिम्मेदारी और उत्साह के साथ अपनी भूमिका निभाएं।

इनकी रही उपस्थिति

बैठक में प्रमुख रूप से संजय

यादव, नित्यनिरंजन खम्मरिया, राधेश्याम चौबे, वीरेंद्र चौबे, दिनेश यादव, रूपेंद्र पटेल, समर्पित सेनी, काशीलया गोठिया, राजेश पटेल, विवेक पटेल, विक्रम सिंह, लक्ष्मीकांत शुक्ला, राजेश तिवारी, शिव नामदेव, अंजू बघेल, राजेश चौबे, विवेक अवस्थी, कोडीलाल राय, अर्चना दहिया, विनीता यादव, रुमणणी गोठिया, रामा धुवें, चतुर सिंह लोधी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अभय सिंह, राजेश सिंह, सुनील जैन, तुलसीराम कुशवाहा, वृंजेश दुबे, विवेक यादव, रामेश्वर गिरी, बच्चा यादव, रामविजय कसौलिया, संजय गुरु, सेनलाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश पटेल, सोनू दुबे, निखनारायण सिंह, सुभाष पटेल, दुर्जन सिंह, मुन्नी बाई, विपिन जयपाल, प्रदीप पटेल,

कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता जरूरी

बैठक में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पूरी सक्रियता के साथ भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।

प्रशासन के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन

सिहोरा नवभारत 12 सितंबर। सिहोरा में शनिवार को पुराने बस स्टैंड में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल जिला इकाई ने तहसील प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हिन्दुओं के त्योहारों और आयोजनों में सख्ती और अन्य सम्प्रदाओं को नरमी बरतने को लेकर जमकर आक्रोश जताया।

प्रदर्शनकारी सर्वप्रथम अरूणाथ घोष स्टेडिअम में एकत्रित होकर गौरी तिराहा होते हुए पुराने बस स्टैंड पहुंचे। जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की एवं अपनी विभिन्न मांग जैसे की एसडीओपी सिहोरा आदित्य सिंघारिया द्वारा जिला सिहोरा में हिंदू समाज के साथ हो रहे पक्षपात पूर्ण व्यवहार, वहीध गतिविधियों एवं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ अभद्रता पर एसडीओपी को हटाए जाने की मांग की। उनका कहना था कि प्रशासन द्वारा हिंदू समाज आम नागरिक एवं संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।



रक्षाबंधन में बाजार में निकाले गए विशेष समुदाय द्वारा जुलूस में हिंदुओं ने मांग की थी कि गंगा जमुना तहजीब को ध्यान रखते हुए कम से कम एक बार जुलूस का रूट परिवर्तित कर दिया जाए परंतु एसडीओपी द्वारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इसके विपरीत सभी नियमों को ताक पर रखकर हिंदू संगठनों के विरुद्ध खुलेआम अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज की यात्रा में डीजे चलाने यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जाती इसके साथ ही क्षेत्र में अवैध माइनिंग, गांजा, गली-गली बिकता है आदि

समस्याएं प्रमुखता से उठाई। कालेज के पास हो पुलिस चौकी- प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आगामी त्योहारों को लेकर भारी वाहन घाटन के अंदर प्रवेश निषेध किया जाए तहसील में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। सिहोरा हॉस्पिटल की व्यवस्था की संयुक्त समीक्षा की जाए बीडी हाई स्कूल में हिंदू बहुल छात्राएं अध्यनरत है वहां पर प्रवेशित रहीम शाह को हटया जाए एवं अन्य मांगों को लेकर आज सिहोरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपा गया।

लोक अदालत

2.31 करोड़ से अधिक के समझौते, 5,032 प्रकरण रखे गए, 1,700 पक्षकार लाभान्वित, कटंगी एवं पाटन में भी आपसी सुलह से हुआ प्रकरणों का निराकरण

सिहोरा लोक अदालत में 870 प्रकरणों का किया गया निराकरण



सिहोरा नवभारत 12 सितंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय सिहोरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश तृतीय संतोष कुमार कोल एवं सिहोरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रविदीप सिंह बैस द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना के साथ किया गया।

इस अवसर पर सिहोरा न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित लिटिगेशन के 1,016 प्रकरण समझौते के आधार पर निराकरण

के लिए रखे गए, जिनमें से 165 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में 1 करोड़ 45 लाख 98 हजार 220 रुपए की राशि का अवाई समझौता हुआ। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन के 4,016 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए, जिनमें से 705 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 85 लाख 22 हजार 98 रुपए की राशि का अवाई/समझौता किया गया। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 5,032 प्रकरणों में से 870 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 72 करोड़ 31 लाख 20 हजार 318 रुपए की कुल समझौता राशि रही। प्रेस-नोट के अनुसार करीब 1,700 पक्षकार लाभान्वित हुए। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विद्युत विभाग से

पाटन में लोक अदालत में निपटे 110 प्रकरण, 69 लाख के अवाई पारित

पाटन नवभारत। नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन के लिये गठित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारीगण एवं अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा अन्य अधिवक्तागणों और कार्यकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतीमा पर माल्यार्पण कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। आपसी समझाइश और सहमति से अदालत में 110 प्रकरणों का समाधान किया गया। लोक अदालत में रखे गए 1407 प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति से 110 प्रकरणों का निपटारा हुआ। निपटे प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा सड़कत लाख पक्कतर हजार आठ सौ तैतालीस रुपए के अवाई पारित किए गए। पारित अवाई की राशि पीठित पक्षकारों को आपसी सहमति से क्षतिपूर्ति के रूप में मिल सकेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए



व्यवहार न्यायालय पाटन में 06 खंडपीठ गठित की गई। 5561 मामले हुए प्रस्तुत-लोक अदालत में कुल 5561 प्रकरण रखे गए। इनमें प्री लिटिगेशन के 4154 तथा लिटिगेशन के 1407 प्रकरण शामिल हैं। रखे गए प्रकरणों में शामिल पीठित पक्षकारों की आपसी सहमति से प्री लिटिगेशन के 189 प्रकरणों

संतोष कुमार कोल, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्याम सुंदर झा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजय उडके, श्रीमती खलीदा तनवीर खान, श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज, , विशाल रिछारिया एवं सुश्री दीपशिखा दांगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ने पीठासीन अधिकारियों के रूप में प्रकरणों

का निराकरण किया। विभिन्न खंडपीठों में अधिवक्ता सदस्य के रूप में नागेश उपाध्याय, मनीष कुमार गौतम, अभय नारायण मिश्रा, अनमोल अवस्थी, वरुण तिवारी, अविनाश दाहिया एवं अभिलाष तिवारी ने सहयोग किया।

इस अवसर पर सिहोरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

कटंगी में बिजली विभाग के 47 लंबित मामले लोक अदालत में निपटे

कटंगी नवभारत12 सितंबर। आज यहां आयोजित नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत बिजली विभाग के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस लोक अदालत में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बरसों से लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, आज के इस शिबिर में विद्युत संबंधी कुल 47 लंबित प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इन मामलों के निपटारे के तहत कुल 2,62,489 की राशि का समझौता कराया गया, जिससे उपभोक्ताओं को अदालती चक्करों और भारी जुर्माने से मुक्ति मिली। गौरतलब



है कि इस लोक अदालत के तहत सरकार और विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को विशेष छूट का लाभ दिया गया। इसमें प्री-लिटिगेशन मामलों में सिविल दायित्व पर 30 प्रतिशत तक, लिटिगेशन स्तर के मामलों में 20 प्रतिशत तक और ब्याज की राशि पर नियमों के अनुसार 100 प्रतिशत तक की पूरी छूट दी गई। इस योजना का लाभ 10 लाख तक

के मामलों वाले घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक गैर-घरेलू और 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से बिजली चोरी और बिल विवाद के मामलों का बिना किसी कानूनी उलझन के तुरंत समाधान हो जाता है, जिससे विभाग और उपभोक्ता दोनों के समय और पैसे की बचत होती है।

लोक अदालत में प्रकरणों के समझौते, विद्युत संबंधी मामलों के निराकरण तथा लोक अदालत से मिलने वाले लाभों के संबंध में जागरूक किया गया। न्यायालय परिसर से वाहन को रवाना किए जाने के दौरान न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं अन्य उपस्थितजनों ने सहभागिता की। लोक अदालत में आपसी

सहमति से मामलों के निराकरण को लेकर पक्षकारों में भी उत्साह देखने को मिला। समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया, समय और खर्च से राहत मिली, वहीं न्यायालय में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की दिशा में भी लोक अदालत महत्वपूर्ण साबित हुई।